भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 4322

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: विशेष कृषि सूचकांक

4322. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार विशेष कृषि सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रही है और यदि यह प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक की जा सकती है ताकि कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मौजूदा योजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए कृषि और ग्रामीण परिदृश्य सूचकांक विकसित करने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाई है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, प्रमुख कार्यक्रमों में, जहाँ भी आवश्यक हो, परिवर्तन करने के लिए उनका मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान किए गए कृषि परिवारों के नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, भारत में लगभग 54% ग्रामीण परिवार कृषि वर्ष जुलाई, 2018 - जून, 2019 के दौरान आय के प्रमुख स्रोत के रूप में कृषि (खेती और पशुधन सहित) पर निर्भर थे।

सरकार देश में कृषि क्षेत्र की निगरानी कई मानकों, जैसे कि कृषि में सकल मूल्य संवर्धन और सकल पूंजी निर्माण, विभिन्न फसलों की उत्पादकता, बोया गया क्षेत्र, फसल सघनता, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र, बीमा पहुंच, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह, कृषि पद्धतियों में मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के स्तर आदि के माध्यम से करती है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्यों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार किसानों के कल्याण हेतु कार्य करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने तथा इसे एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए कई नीतियां, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएं अपनाई और कार्यान्वित की हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता करके किसानों का कल्याण करना है। इन योजनाओं में कृषि के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी फसलों सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2018-19 से अखिल भारत भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से देश में सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 201.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत प्रयासों से फसल सघनता में भी निरंतर सुधार हुआ है, जो वर्ष 2013-14 में 142.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 156.8% हो गई है, जो बहुफसलीय पद्धतियों की ओर सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, तथा किसानों की एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन 353.96 मिलियन टन रहने का अनुमान है और दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

(ग) से (ङ): इन विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और निगरानी एक सतत प्रक्रिया है। प्रमुख योजनाओं की स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनमें सुधार किया जाता है। विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं, इसलिए इन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। यह फ्रेमवर्क योजना के उद्देश्यों, या 'परिणामों' की प्राप्ति के लिए मापनीय संकेतक प्रदान करने का प्रयास करता है, और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति पर सक्रिय रूप से नज़र रखता है। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), क्षेत्रीय निरीक्षण और आवधिक समीक्षा जैसी व्यवस्थाएं भी अपनाई जाती हैं।

अनुबंध

'विशेष कृषि सूचकांक' के संबंध में दिनांक 19/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4322 के भाग (ग) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करते हुए किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉयल हेल्थ एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बाँस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन

******